# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

**अपील संख्या :– 3866/2022**

सुनिता शर्मा —अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा, सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
3. संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा), कोटा संभाग, कोटा।
4. भूरा लाल बंजारा, वरिष्ठ अध्यापक, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, गोविन्द नगर, कोटा।

—प्रत्यर्थीगण

**प्रस्तुतिकरण की दिनांक** : 31.08.2022
**आदेश की दिनांक** : 07.10.2022

**उपस्थित –**
अपीलार्थी की ओर से : श्री पुनित सिंघवी, अधिवक्ता

**समक्ष :– मातादीन शर्मा, सदस्य**
**शुचि शर्मा, सदस्य**

## आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपील में अंकित तथ्यों के अनुसार व्यक्त किया गया है कि अपीलार्थी वर्तमान में वरिष्ठ अध्यापक के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, गोविन्द नगर, कोटा में पदस्थापित है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 28.08.2022 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापित स्थान से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, केसर, कोटा किया गया। अपीलार्थी विशेष रूप से विकलांग व्यक्ति है, जो 25 प्रतिशत की शारीरिक अक्षमता है तथा गंभीर रूप से बीमार भी है, जिसमें डॉ0 द्वारा सलाह दी गई है कि वह यात्रा न करे (अनुलग्नक–2)। अपीलार्थी का पिछले कई वर्षो से इलाज चल रहा है (अनुलग्नक–3)। अपीलार्थी की सेवानिवृत्ति में दो वर्ष से भी कम का समय शेष है। अपीलार्थी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने अपने न्यायिक विनिश्चय श्रीमती मंजुला पाठक बनाम राजस्थान राज्य वगैरह, नामक सिविल याचिका संख्या 14577/2016 में दिनांक 21.10.2016 को पारित निर्णय में ऐसे कार्मिकों के पदस्थापन परिवर्तन को अयुक्तियुक्त माना है एवं अपीलार्थी के अधिवक्ता ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित डी.बी.सिविल स्पेशल

अपील संख्या 1430/1999 पुष्पा मेहता बनाम राजस्थान राज्य में पारित निर्णय की ओर ध्यान आकृष्ट किया है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 28.08.2022 (अनुलग्नक–1) को अपास्त किया जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जावे कि अपीलार्थी को निरन्तर वरिष्ठ अध्यापक के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, गोविन्द नगर, कोटा में कार्य करने दिया जावे।

हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी शारीरिक रूप से विकलांग है, जिसका पिछले कई वर्षों से इलाज चल रहा है तथा अपीलार्थी की सेवानिवृत्ति में दो वर्ष से भी कम का समय शेष है। अतः उपर्युक्त मामले की वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हम न्यायहित में यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी दो सप्ताह में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में दो सप्ताह में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। अपीलार्थी के अभ्यावेदन के निस्तारण होने तक अपीलार्थी के सम्बन्ध में आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 28.08.2022 (अनुलग्नक–1) का क्रियान्वयन (Operation) स्थगित किया जाता है। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि निर्धारित समयावधि में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के उक्त निर्देशों की पालना अपीलार्थी द्वारा नहीं किये जाने पर यह स्थगन आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो जावेगा।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

**(शुचि शर्मा)**
**सदस्य**

**(मातादीन शर्मा)**
**सदस्य**